

## FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

रतनी ओड पुत्री उगमा ओड, निवासी कालिरड़िया, तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा।	बनाम	उगमा ओड पुत्र कैला ओड, निवासी कालिरड़िया, तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा।
- प्रार्थी		- विपक्षी

प्रकरण संख्या 28/2024 विविध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2024	न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से प्रकरण स्थानान्तरण हो कर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को पंजीबद्ध किया जाकर उभय पक्षों को नोटिस जारी करें। प्रकरण आयन्दा सुनवाई हेतु दिनांक 28.05.2024 को पेश करें।  (राजेन्द्र सिंह शेखावत) जिला कलक्टर शाहपुरा	
28.05.24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्यों के मंत्रों में व्यस्त हैं। पत्रावली वापस आगाथी सुनवाई दिनांक 18.06.2024 को पेश है।  रीडर जिला कलक्टर शाहपुरा	
18.06.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसके उपरान्त पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त अधिकारी, कोटड़ी में पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। इसके मंत्रों में इस आ. पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान दंडाधिकारी अधिनियम 1955 अख्तियार किया जाता है। पत्रावली केवल शुभल दौकल नम्बर संकट है।  18/6/24 जिला कलक्टर शाहपुरा	